न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

232

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 6-दो/13 विरूध्द आदेश दिनांक 31/7/2012 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 161/अपील/08-09.

1 महिला रमकू बेवा ननू यादव
2 किशोरी यादव तनय ननू यादव
3 हरदयाल यादव तनय ननू यादव
निवासी किटा खेरा
4 भागवती पुत्री ननू यादव
पत्नी मुन्नालाल यादव
हाल निवासी तगेगी तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ म0 प्र0

आवेदकगण

- विरूध्द -

1 घनश्याम ऊर्फ घन्सू तनय पकू यादव
2 लखनलाल तनय पकू यादव
3 प्रभूदयाल तनय पकू यादव
निवासीगण ग्राम किटा खेरा

तहसील जतारा, जिला टीकमगढ

4 महिला कासी बाई पुत्री पकू यादव
पत्नी स्वर्गीय कुंजीलाल यादव किटा खेरा
हाल निवासी फतेह का खिरक थाना
तहसील जतारा जिला टीकमगढ

5 महिला लाड कुंवर पुत्री पकू यादव
पत्नी सुखराम यादव निवासी गोवा
पूर्वी तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ

6 महिला रूकमणी पत्नी पकू यादव
निवासी किटा खेरा

अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

यह निगरानी प्र क्र 6-दो/13 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के प्र क्र

161/अपील/08-09 में पारित आदेश दि 31-7-2012 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

अनावेदकपक्ष ने आवेदकपक्ष के हित में नामांतरण पंजी क्र १७८ में पारित आदेश दि २४-११-८७ के विरुद्ध प्रथम अपील अनु अधि की समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें अनु अधि ने आक्षेपित आदेश में यह लेख करते हुए कि उक्त पंजी पर हुए नामांतरण में इश्तेहार की प्रति संलग्न नहीं होने और पंजी पर हितबद्ध पक्षकरों के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उक्त नामांतरण आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है उक्त नामांतरण आदेश दि २४-११-८७ निरस्त किया और प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार नामांतरण आदेश पारित करने के लिए तहसीलदार जतारा को प्रत्यावर्तित कर दिया. इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई.

[३] मैंने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया.

म प्र भू रा संहिता की धारा ४९(३) के अनुसार दि ३०-१२-२०११ के बाद से किसी अपील प्राधिकारी द्वारा उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है. स्पष्टतः अनु अधि का उक्त प्रतिप्रेषण आदेश इस धारा के इस प्रावधान का उल्लंघन है और इस कारण से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

[४] अतः, मैं अनु अधि का आक्षेपित आदेश दि ३१-७-१२ एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ और उन्हें (अनु अधि जतारा) को यह निर्देश देता हूँ की संहिता की धारा ४९ के प्रावधानों के अनुसार वे अब अपने न्यायालय के उक्त प्र क्र १६१/अपील/०८-०९ का अंतिम निराकरण, उसे अधीनस्थ न्यायालय की ओर प्रतिप्रेषित ना करके, उभयपक्ष को विधि अनुसार पर्याप्त पक्षसमर्थन का अवसर आदि देते हुए, स्वयं अपने स्तर से करें.

आदेश पारित.
निगरानी निराकृत.
पक्षकार और अनु अधि जतारा सूचित हों.
अभिलेख वापस हो.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर